W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एलआर / 261 / 2014 / जिला झुंझुनू
सलीम पुत्र स्व0 वशीर खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी अरडावता तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2– मु. कुतुबन बानो पत्नि स्व0 अजीज खां
3– अबास खां पुत्र स्व0 अजीज खां
4– इमदाद खां पुत्र स्व0 अजीज खां
5– मु. ताजबानों स्त्री शब्बीर खां
6– मु. यासमीन पुत्री शब्बीर खां
7– मु. समीन वुत्री शब्बीर खां
समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासी अरड़ावता तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

..... प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री श्रीनिवास बेनीवाल अभिभाषक केवियटकर्ता / प्रत्यर्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांकः– 28–01–2014

1– यह द्वितीय अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैपं झुंझुनू (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं. 6 / 2013 में पारित निर्णय दिनांक 8–1–2014 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम 1956') की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– उभय पक्ष की बहस अपील के ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी।

3– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता के नाम नामान्तरकरण संख्या–94 दिनांक 10–06–1960 द्वारा खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड हुई थी। बाद में विवादित आराजी गलत रूप से राजस्व अभिलेख में

कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी आवंटन सलाहकार समिति ने निर्णय दिनांक 16–08–2012 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 से 5 के नाम नियमन करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैपं झुंझुनू द्वारा दिनांक 08–01–2014 को खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरूद्ध हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दी गई। जबकि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की अपील नियमानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां पेश की जाती है। विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता के पश्चात् उसके कब्जेकाश्त में चली आ रही है। राजस्व अभिलेख में हुई गलती का खामियाजा अपीलार्थी नहीं भुगत सकता। प्रत्यर्थीगण द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष तथ्य छुपाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी के पिता का भाई होने तथा अपीलार्थी के पिता को लाऔलाद फौत होना अंकित करते हुये गलत नियमन करवाया गया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की जावे।

4- विद्वान अभिभाषक केवियटकर्ता का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश की अपील जिला कलेक्टर के यहां होती है, तथा द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होती है। क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अपील सही खारिज की है। अतः अपील खारिज की जावे।

5– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया।

6– आलोच्य आदेश दिनांक 09–01–2014 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से जाहिर है कि न्यायालय, भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (अधीनस्थ न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत अपील को केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष है कि– ''**अपीलाधीन आदेश सलाहकार समिति की बैठक में पारित किया गया है जो राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत दिया गया है आदेश है। इस आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है।**'' इस निष्कर्ष के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को खारिज किया गया है। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्षांकन नहीं किया गया है।

7— निस्सन्देह 1970 के आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटन आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, अपितु उक्त नियमों के नियम 14 (4) में स्वतः अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर आवंटन को निरस्त करने की शक्तियां जिला कलेक्टर को दी गयी हैं। उक्त नियम 14(4) निम्न प्रकार हैः—

> *"(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules, either suo-moto or on an application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment.*
>
> *Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."*

उपरोक्त नियम 14 (4) के अवलोकन से जाहिर है कि कलेक्टर द्वारा स्वतः अथवा किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर, सम्बन्धित आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा, किन्तु मेरा मत है कि इस नियम का दायरा (scope) सीमित है और जिला कलेक्टर द्वारा आवंटन केवल उस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है **जबकि उक्त आवंटन कूट रचित तरीके से या मिथ्या—प्रस्तुतीकरण द्वारा (through fraud or misrepresentation) प्राप्त किया गया है, या नियमों के विरुद्ध आवंटन किया गया है या आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त को भंग किया गया है।** किन्तु अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि आवंटित की गयी भूमि उसके कब्जे व अधिकार की थी और उक्त भूमि के आवंटन का अधिकारी वह स्वयं था, किन्तु उसके अधिकार की अनदेखी करके आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है, तो ऐसे व्यथित व्यक्ति (aggrieved person) के लिये 1970 के आवंटन नियमों में राहत हेतु कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसे व्यथित व्यक्ति (aggrieved person) के लिये न्याय के द्वार बन्द हों और उसके लिये विधि में कोई समुचित उपचार ही उपलब्ध नहीं हों। 1970 के आवंटन नियम राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये हैं और मेरा मत है कि जिन बिन्दुओं का समाधान उक्त 1970 के नियमों में नहीं है, और आवंटन आदेश से व्यथित व्यक्ति (aggrieved person) को अगर उक्त आवंटन नियमों में कोई उपचार उपलब्ध नहीं है तो अधिनियम, 1956 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध उपचार का रास्ता उसके लिये उपलब्ध है। अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील व धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील के प्रावधान ऐसे व्यथित व्यक्ति के लिये सदैव उपलब्ध हैं।

8— हस्तगत प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी यह कह कर नहीं आया है कि आवंटी / अप्रार्थी द्वारा कूटरचना अथवा मिथ्या—प्रस्तुतीकरण से (through

fraud or misrepresentation) आवंटन प्राप्त किया गया है अथवा उसे किया गया आवंटन विधि के विपरीत है अथवा उसने आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन किया है। अतः 1970 के आवंटन नियमों के नियम 14 (4) के प्रावधानानुसार कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का उपचार वर्तमान अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी का अभिकथन यह है कि वादग्रस्त भूमि पहले उसके पिता की टीनेंसी की थी जो कि नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 10–06–1960 द्वारा उसके पिता की खातेदारी में दर्ज हुई थी, किन्तु गलत रुप से वादग्रस्त भूमि को कस्टोडियन भूमि के रुप में दर्ज कर दिया गया और इस भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पिता अजीज द्वारा वाद संख्या 282 / 2008 में प्राप्त किये गये आदेश दिनांक 11–06–2010 के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील संख्या 145 / 2012 लम्बित है। किन्तु फिर भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन प्रत्यर्थीगण के पिता अजीज को कर दिया गया, जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा जो अपील भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, वह आवंटन नियमों के नियम 14 (4) का प्रार्थनापत्र नहीं था, अपितु अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील थी। मेरा मत है कि आवंटन के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति (aggrieved person) के लिये अपील का उपचार धारा 75 अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उपलब्ध है और आवंटन सलाहकार समिति की सलाह के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई करने के लिये राजस्व अपील प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी सलीम द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 16–08–2012 के विरुद्ध, एक व्यथित पक्षकार (aggrieved person) के रुप में अपील प्रस्तुत की गयी है, अतः ऐसी अपील को केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज करना विधि की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित है। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके क्षेत्राधिकार का त्रुटिपूर्ण उपयोग किया है।

9– उपरोक्त अनुच्छेद में अंकित मेरा मत मण्डल द्वारा पारित पूर्व निर्णयों– 1976 RRD 148, 1977 RRD 429 और 1981 RRD 630 (LB) में प्रतिपादित सिद्धान्तों से समर्थित है, जिनमें यह अभिनिर्धारित है कि **नियम 14 (4) के अन्तर्गत शिकायत तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किन्तु अपील केवल व्यथित पक्षकार ही कर सकता है। अपील का प्रावधान 1970 के आवंटन नियमों में नहीं है किन्तु अधिनियम, 1956 की धारा 75 में यह प्रावधान है।** राजस्व मण्डल की वृहद पीठ – 1981 RRD 630 (LB) के सामने यह प्रश्न विचारणीय था कि क्या जिला कलेक्टर द्वारा नियम 14 (4) के अन्तर्गत पारित आदेश अधिनियम, 1956 की धारा 75 (ख) के प्रयोजनार्थ ''मूल आदेश'' होकर अपील योग्य है? इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध यद्यपि

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से सीधा नहीं है तथापि वृहद पीठ द्वारा इस प्रश्न पर विचार करते समय निम्न प्रकार मत (observation) व्यक्त किया गया है:–

> *"In the 1970 rules, the power to allot lands has been given to Sub Divisional Officer who will make the allotment in consultation with the Allotment Committee. In the earlier 1957 Rules the allotment was made by Tehsildar in consultation with the Advisory Committee and the Rules thereunder provided for an appeal to the Collector. Now since under the 1970 Rules, the allotment is made by the SDO, the first appeal will lie only to the R.A.A. in view of Section 75 (b). …..."*

माननीय वृहद पीठ द्वारा व्यक्त उपरोक्त मत वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होता है अर्थात आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से उपखण्ड अधिकारी द्वारा 1970 के आवुटन नियमों के अन्तर्गत किये गये आवंटन से व्यथित पक्षकार राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम, 1956 की धारा 75 (ख) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है और ऐसी अपील पर विचारण हेतु राजस्व अपील प्राधिकार को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है, आलोच्य आदेश दिनांक 09–01–2014 निरस्तनीय है और प्रकरण गुणावगुण पर अपील को निस्तारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है। चूंकि केवियटकर्ता के अभिभाषक को सुना जा चुका है और अधीनस्थ न्यायालय के सामने प्रथम अपील की पोषणीयता के सम्बन्ध में इस न्यायालय के स्पष्ट निष्कर्ष उपरोक्तानुसार अंकित किये जाने के उपरान्त अब अन्य प्रत्यर्थीगण को तलब किये जाने अथवा हस्तगत अपील को और आगे सुनवाई हेतु लम्बित रखे जाने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ग्राह्यता के स्तर पर ही हस्तगत अपील का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित है।

11– परिणामतः हस्तगत अपील को ग्राह्यता के स्तर पर एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है और आलोच्य आदेश दिनांक 09–01–2014 को निरस्त करके प्रकरण वापिस भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी सलीम द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रथमतः यह विनिश्चयन किया जावे कि उक्त सलीम अपीलार्थी आवंटन आदेश दिनांक 16–08–2012 से व्यथित पक्षकार है अथवा नहीं और उसके बाद अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार पारित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य